भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2684

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

ई-किसान उपज निधि

2684. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ई-किसान उपज निधि (डिजिटल गेटवे) के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस पहल के अंतर्गत किसानों के लिए वित्त प्राप्त करने के लिए फसलोपरान्त भुगतान हेतु मानदंड और प्रक्रियाएं क्या हैं;

(ग) इस योजना से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस पहल के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): ई-किसान उपज निधि (डिजिटल गेटवे), जिसे इसके बाद ई-कुन कहा जाएगा, किसानों को इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) के आधार पर बैंकों से फसल कटाई के बाद ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। ई-किसान उपज निधि से किसानों को फसल कटाई के बाद बंधक वित्तपोषण मिलने की अधिक उम्मीद है। इससे उन्हें पर्याप्त नकदी मिलेगी और वे अपनी फसल के बेहतर मूल्य मिलने तक इसकी बिक्री को अधिक उपयुक्त समय तक रोक सकेंगे। इस प्रकार, आपात बिक्री को कम किया जा सकता है।

2. इसके अलावा, ई-कुन, बैंकों, यूआईडीएआई, सीबीडीटी, क्रेडिट सूचना ब्यूरो, भांडागारण विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) आदि के रिपॉजिटरियों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच डाटा के निर्बाध अंतरण के माध्यम से बंधक ऋण के लिए टर्नअराउंड समय को कम कर सकती है। पोर्टल किसानों को बैंकों का एक व्यापक विकल्प भी प्रदान करता है। बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर, ऋण राशि आदि के आधार पर किसान अपनी पसंद का बैंक चुन सकते हैं।

...2/-

(ख): किसान को सबसे पहले डब्ल्यूडीआरए द्वारा अधिकृत रिपॉजिटरी के माध्यम से जारी किए गए अपने रिपॉजिटरी खाते के विवरण के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। यह पोर्टल, यूआईडीएआई, सीबीडीटी, रिपॉजिटरी आदि के इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकीकृत डाटा बेस के माध्यम से विवरणों को प्रमाणित करेगा। पोर्टल का रूल इंजन किसान को पोर्टल पर मौजूद विभिन्न बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का विवरण प्रदान करता है। एक बार जब किसान किसी बैंक का प्रस्ताव चुन लेता है, तो पोर्टल सम्यक तत्परता के लिए चयनित बैंक को जानकारी भेजता है। रूल इंजन किसान के क्रेडिट विवरण जैसे सिबिल स्कोर, केसीसी खाता आदि की भी जांच करता है ताकि बैंक ऋण को संसाधित और स्वीकृत कर सके। बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकृति पत्र जारी करने के बाद, किसान दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और ऋण राशि संवितरित करवाने के लिए बैंक जा सकता है।

(ग): दिनांक 02.12.2024 की स्थिति के अनुसार ई-कुन पोर्टल पर ऋण के लिए आवेदन करने वाले किसानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	किसानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
गुजरात	5
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	2
राजस्थान	10
कुल	**19**

(घ): सरकार ई-कुन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रही है:-

1. सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/संघ राज्य क्षेत्रों के सलाहकारों और नाबार्ड के अध्यक्ष से ई-कुन पोर्टल को लोकप्रिय बनाने का अनुरोध किया है।

2. सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ई-कुन की विशेषताओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/संघ राज्य क्षेत्रों के सलाहकारों और नाबार्ड के अध्यक्ष से ई-कुन को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) में एजेंडा आइटम के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया है, ताकि राज्य के किसान इसका लाभ उठा सकें।

...3/-

3. सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सलाहकारों से राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और राज्य सहकारिता विभाग के लिए ई-कुन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया है।

4. भांडागारण विकास विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से "ई-कुन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहने" का अनुरोध किया है।

5. ई-कुन को डब्ल्यूडीआरए द्वारा अपने विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से किसानों के लिए आयोजित किसान जागरूकता कार्यक्रमों (एफएपी) के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।

*****